पीठासीन अधिकारी — मुनिदेव यादव (RAS)

प्रकरण सं. 5/21 — दायर दिनांक 11.2.21

1. महेन्द्र
2. बृजेन्द्र
3. बल्लो पुत्री सोहनलाल

] पुत्रान सोहनलाल] जाति यादव आदि निवासी [illegible] तह० भुसावर

——— प्रार्थीगण

बनाम

राज सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA

अधिवक्ता - आजाद बाबू प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 19-3-21

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ख.नं. 44/0.26, 46/0.26 वाके ग्राम अलराम पुरा तह० भुसावर में 1/2 हिस्से के प्रार्थीगण के पिता स्व० सोहनलाल काबिज खाते दार थे जिनका नाम इन्द्राज बन्दोबस्त होने पर राजस्व कर्मचारियों ने सोहनलाल के स्थान पर मोहनलाल गलत नाम दर्ज हो गया है जबकि बन्दोबस्त से पूर्व की जमाबन्दी में सही नाम सोहनलाल अंकित है। अतः आराजी ख.नं. 44/0.26, 46/0.26 वाके ग्राम अलराम पुरा के अधूरे नाम मोहनलाल के स्थान पर सोहनलाल राजस्व रिकार्ड किया जावे।

हमने प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी [illegible] की तरफ जरिये रजिस्टर्ड A.D. डाक द्वारा की गई नोटिस की तामीली में पैरोकार सरकार मय पटवारी हल्का उपस्थित हुए उन्होंने मौका पर्चा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार को सुना गया वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भुसावर द्वारा मौका पर्चा में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

लगातार-2

उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत

रिकार्ड जैसे नकल जमाबन्दी सं. 2071-2074, मिसल क्षेत्रफल
पहचान पत्र महेन्द्र, आधार कार्ड विजेन्द्र को अवलोकन
किया गया उपरोक्त के अवलोकन एवं पैरोकार लखपत
के कोटा रिपोर्ट के आधार पर हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 136 LRA को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
भुसावर को निर्देशित किया जाता है कि वे आ०ख०नं.
44/0.26, 46/0.26 है० वाले ग्राम अतरामपुरा तहसील भुसावर
की आराजीयात में प्रार्थीगण के पिता के अशुद्ध नाम
मोहनलाल के स्थान पर सही नाम सोहनलाल दर्ज राजस्व
रिकार्ड किया जावे!

निर्णय आज दिनांक 19.3.21 को लिखाया जाकर
सरे इजलास सुनाया गया!

मुनीदेव यादव
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)